資料2－5－④

農業及び漁業分野に関する日インド投資促進プログラム

1．覚書名称
日本語名：農業及び漁業分野に関する日インド投資促進プログラム
英語名：The Program for Promoting Investment into India by Japan in the Field of Agriculture and Fisheries

2．署名日時
10月29日

3．署名者
松島農林水産審議官、チノイ駐日インド大使

4．概要
（締結に至る背景，協力のポイント）
背景：
・ 現在、我が国は、日本の「強み」を活かした農業生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値をつなぐ国際的なフードバリューチェーンの構築を推進。
・ この一環として、農林水産省とインド農業・農民福祉省との協力覚書を締結。
・ 協力覚書に基づき、具体的な投資案件を特定するため、合意に至った。
協力のポイント：
・ 具体的な投資案件を特定するためのフォーマットを策定。
・ フォーマットに基づき、日本企業及びインド州政府によるニーズを明確化し、認識の共通を図る。

農業及び漁業分野に関する日インド投資促進プログラム

कृषि और मात्स्यिकी के क्षेत्र में जापान द्वारा भारत में निवेश संवर्धन हेतु कार्यक्रम

The Program for Promoting Investment into India by Japan in the Field of Agriculture and Fisheries

本プログラムは、日本国農林水産省とインド共和国農業・農民福祉省との間で署名された「農業及び食品関連産業分野に係る協力覚書」に基づき、2018年10月29日から試行的に開始されるものであり、日本国農林水産省とインド共和国農業・農民福祉省（以下「日インド両国政府」といい、各々を「日本側」、「インド側」又は「相手方」という。）は、農業及び漁業分野におけるインドへの投資を促進するプログラムの重要性に同意する。

जापान के कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच कृषि और खाद्य से संबंधित उद्योग के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर आधारित, यह कार्यक्रम 29 अक्तूबर, 2018 से परीक्षण आधार पर आरंभ किया गया है, जिस पर जापान के कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी मंत्रालय (एमएएफएफ) तथा भारत गणराज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप से "भागीदार" और व्यक्तिगत रूप से "जापानी पक्ष", "भारतीय पक्ष" अथवा "अन्य भागीदार" कहा जाएगा) कृषि और मात्स्यिकी के क्षेत्र में भारत में निवेश संवर्धन की महत्ता पर समहत हुए हैं।

Based on the Memorandum of Cooperation between the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan and the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare of the Republic of India in the field of Agriculture and Food related industry, this program is initiated on a trial basis from 29 October 2018, on which the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF) and the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government India (MoAFW) (hereinafter referred to collectively as the "Participants" and individually as the "Japanese side", the "Indian side" or the "Other participant") agreed on importance to promote investment into India in the field of agriculture and fisheries.

1 本プログラムの目的/इस कार्यक्रम का प्रयोजन/ Purpose of this program

(i) 本プログラムは、インドにおける農業及び漁業分野への日系食品関連企業等からの投資を促進することを目的とする。

(i) इस कार्यक्रम का प्रयोजन कृषि एवं मात्स्यिकी के क्षेत्र में खाद्य के क्षेत्र से संबंधित जापानी कंपनियों (जिन्हें इसमें इसके बाद "जापानी कंपनियां " कहा जाएगा) की ओर से भारत में आवश्यकता आधारित निवेश को बढ़ावा देना है।

(i) The purpose of this program is to promote need based investment into India from Japanese companies related to food (hereinafter referred to as "Japanese companies") in the field of agriculture and fisheries.

(ii)日インド両国政府は、本プログラムの下、個別投資プロジェクトの形成や日系食品関連企業の投資環境整備を推進し、最終的には、それら個別プロジェクト実施結果等を基に、インドにおける農業及び漁業分野における投資のためのマスタープランを作成することを追求する。

(ii) भागीदार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहमत हुए हैं कि व्यक्तिगत निवेश परियोजनाएं बनाएंगे एवं जापानी कंपनियों के लिए और निवेश वातावरण को बढ़ावा देने तथा उनकी निवेश

परियोजनाओं तथा अन्य संबंधित मामलों के परिणामों के आधार पर भारत में कृषि और मात्स्यिकी में निवेश के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की भी मंशा है।

(ii)The Participants agreed to make individual investment projects and improve investment environment for Japanese companies under this program and they also intend to prepare the Master Plan for the investment in agriculture and fisheries in India based on the results of investment projects and other related matters.

2 本プログラムが対象とする主な分野/इस कार्यक्रम का मुख्य क्षेत्र/ Main field of this program

本プログラムは、インドにおける農業のバリューチェーンの改善及び水産業（養殖業を含む。）の振興を主に対象とする。

यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि मूल्य श्रृंखला और मात्स्यिकी (जल कृषि सहित) के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है।

The program mainly focuses on the improvement of agri value chain and fisheries (including aquaculture).

3 個別プロジェクト形成/व्यक्तिगत निवेश परियोजनाओं की तैयारी/ Formation of individual investment project(s)

(i) 日インド両国政府は、別添の様式に基づき、インドにおけるフードバリューチェーン構築に資するプロジェクト（案）を双方考案し、随時、相手方に共有の上、必要な場合は相手方に情報収集及び関係機関との調整を依頼できる。共有されたプロジェクト（案）については、日インド両国政府は担当者を決定し、相手方に書面で通知する。

(i) दोनों भागीदार संलग्न प्रपत्र (अनुबंध) का उपयोग करते हुए प्रायोगिक निवेश परियोजनाएं तैयार करेंगे और नियमित रूप से प्रायोगिक निवेश परियोजनाओं का एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करेंगे तथा अन्य भागीदारों के लिए संगत एजेंसियों अथवा कंपनियों के साथ, जब कभी यह आवश्यक हो, सूचना एकत्रित करने तथा समन्वय करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

दोनों भागीदार साझा की गई व्यक्तिगत प्रायोगिक परियोजना के प्रभारी व्यक्ति की पहचान और दूसरे भागीदारों के लिए प्रभारी व्यक्ति की लिखित में सूचना देंगे।

(i) The Participants shall make tentative investment projects using the attached format (Annex) and exchange the tentative investment projects with each other regularly and can also request information gathering and coordination with relevant agencies or companies to the Other participants whenever it is necessary.

The Participants shall identify the person in charge of the shared individual tentative project and notify in writing of the person in charge to the Other participants.

(ii) インド側は、事例ごとに，既存のルールや手続に基づき，日本との協力の下，より大きな目的である「メイク・イン・インディア」に向けて，関連州政府と協議するなどして、日系食品関連企業の参加を容易にする政策に関連する情報の提供を促進する。

(ii) भारतीय पक्ष जापान के सहयोग से मेक इन इंडिया के अपेक्षाकृत बृहद उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा नियमों और क्रियाविधियों के अनुसार मामला - दर - मामला आधार

पर संबंधित सरकारों के साथ परामर्श करके जापानी कंपनियों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए नीतियों के संबंध में सूचना प्रदान करने को सुगम बनाएगा।

(ii) The Indian side shall facilitate in providing related information of the policies to facilitate the participation of Japanese companies, consulting with the related state government(s) on a case to case basis as per existing rules and procedures to further the larger objectives of Make in India in collaboration with Japan.

(iii) 日インド両国政府は、プロジェクト（案）に関する支援策について相互に検討し，当該プロジェクトの実施を容易にするためにどのような支援が可能か決定する。

(iii) दोनों भागीदार परस्पर रूप से प्रायोगिक निवेश परियोजनाओं के लिए समर्थन मांगेगें और यह तय करेंगे कि परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए किस प्रकार का समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

(iii) The Participants shall mutually seek support for tentative investment projects and decide what kinds of support can be provided to facilitate the projects.

(iv) 日本側は、(ii)の通知を受けた後、プロジェクト（案）を実施できるように、プロジェクト（案）に参加する日系食品関連企業等（公的機関も含む。以下「参加候補企業等」という。）を広く募集し、インド側にその結果を随時書面で通知する。

(iv) भारतीय पक्ष की तरफ से (ii) के अध्यधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात जापानी पक्ष व्यापक रूप में प्रायोगिक निवेश परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जापानी कंपनियों अथवा अन्य संबंधित एजेंसियों (राजकीय एजेंसियों सहित और इसके बाद उम्मीदवार कंपनी

(कंपनियों) के रूप में संदर्भित) की नियुक्त कर सकती है और हर बार नियुक्ति के परिणाम के बारे में लिखित में सूचित करेगी।

(iv) After receiving the notice subjected to (ii) from the Indian side, the Japanese side may recruit Japanese companies or other related agencies (including official agencies and hereinafter referred to as the "Candidate company(s)") broadly to put a tentative investment project in execution and notifies in writing of the result of the recruitment at all times.

(v) (iv) の通知後、日インド両国政府及び参加候補企業等は、プロジェクト (案) の具体的な実施方法について協議し、実施計画を策定した上で、プロジェクト (案) を実施する。

(v) जापानी पक्ष की तरफ से (iv) के अध्यधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भागीदार और अभ्यर्थी की कंपनियां चर्चा करती हैं और प्रायोगिक निवेश योजना के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करती हैं और कार्यान्वयन योजना के आधार पर अनुमानित निवेश परियोजना को व्यवहार में लाती हैं।

(v) After receiving the notice subjected to (iv) from the Japanese side, the Participants and the Candidate company(s) may discuss and make an implementation plan for a tentative investment plan and put the tentative investment project into practice based on the implementation plan.

(vi) プロジェクト (案) 及び実施計画については、日インド両国政府及び参加候補企業等の協議により、柔軟に変更できるものとする。

(vi) अनुमानित निवेश परियोजना और कार्यान्वयन योजना को भागीदारों और अभ्यर्थी की कंपनियों के बीच हुई चर्चा के अनुसार सहजता से बदला जा सकता है।

(vi) A tentative investment project and an implementation plan can be flexibly changed considering the discussion between the Participants and the Candidate company(s).

4 投資環境整備/भारत में पर्यावरण निवेश में सुधार/ Improvement of investment environment in India

日インド両国政府は、いつでも，プロジェクトを実施し，また，対インド投資に係る投資環境を整備するために必要な事項について，議論をすることができる。

भागीदार अनुमानित निवेश परियोजना को शुरू करने और भारत में निवेश पर्यावरण में सुधार के लिए हमेशा कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं और सूचित कर सकते हैं।

The Participants can always raise and notify an issue to undertake a tentative investment project and improve investment environment in India.

5 その他/टिप्पणी/Notes

(i) 日インド両国政府は，本プログラムに基づいたプロジェクトを実施するため、プロジェクトの実施に必要な事務レベルの協議を定期的に行う。

(i) भागीदार नियमित रूप से इस कार्यक्रम के आधार पर निवेश परियोजना को बढ़ावा देने हेतु कार्यकारी स्तरीय विमर्श करेंगे।

(i) The Participants shall regularly hold working-level discussions to promote investment projects on the basis of this program.

(ii) 本プログラムの日インド両国政府の窓口は，日本側は農林水産省国際部、インド側は農業・農民福祉省国際協力課とする。

(ii) जापान की ओर से एमएएफएफ के अंतर्राष्ट्रीय मामले विभाग तथा भारत की ओर से एमओएएफडब्ल्यू का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विभाग दोनों भागीदारों के इस कार्यक्रम हेतु संपर्क केन्द्र है।

(ii) The contact points for this program of the Participants are the International Affairs Department of MAFF from the Japanese side and International Cooperation Division of MoAFW from the Indian side.

(iii) 本プログラムの試行期間は、2019 年に開催予定の第２回日インド官民合同作業部会（以下「第２回 JWG」とする。）までとし、日インド両国政府は、協議中のプロジェクト（案）及び実施中のプロジェクトについて、その状況を第２回 JWG に報告する。

なお、第２回 JWG までに適当な参加候補企業等が発見できないプロジェクト（案）については、第２回 JWG において、第２回 JWG 後もそれらプロジェクト（案）を継続して検討するか否かを協議する。

(iii) यह कार्यक्रम परीक्षण आधार पर द्वितीय भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह बैठक (द्वितीय जेडब्ल्यूजी) होने तक जारी रहेगा, जो कि वर्ष 2019 में आयोजित होगी तथा भागीदार विमर्श की गई अनुमानित निवेश परियोजना तथा निवेश परियोजना की स्थिति की रिपोर्ट द्वितीय जेडब्ल्यूजी को देंगे।

भागीदार यह भी विमर्श करेंगे कि अनुमानित निवेश परियोजनाओं को कैसे नियंत्रित करना है जिसमें कोई जापानी कम्पनियां रूचि नहीं दिखाती तथा क्या भागीदार द्वितीय जेडब्ल्यूजी के बाद उन पर विचार-विमर्श जारी रखेंगे।

(iii) This program will continue on a trial basis until the Second India-Japan Joint Working Group Meeting (the Second JWG) which will be held in 2019 and the Participants will report the status of the tentative investment projects discussed and the investment projects implemented to the Second JWG.
The Participants will discuss how to handle tentative investment projects which no Japanese company(s) show the interest(s) and whether the Participants will continue to discuss them after the Second JWG at the Second JWG.

(iv) 本プログラムは、日インド両国政府の協議により、柔軟に変更することができる。

(iv) यह दोनों भागीदारों के बीच विमर्श को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आसानी से बदला जा सकता है।

(iv) This program can be conveniently changed considering the discussion between the Participants.

(v) 本プログラムは、書面により相手方に通知することにより終了させることができる。本プログラムが終了した場合であっても、実施中のプロジェクトについては、日インド両国政府は協力を維持するよう努める。

(v) कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार से लिखित टिप्पणी देकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। दोनों भागीदार पहले से कार्यान्वित निवेश परियोजनाओं के संबंध में सहभागिता हेतु निरंतर प्रयास करेंगे।

(v) Any Participant can terminate this program by serving a written notice to the other participant. The participants should make effort to continue the cooperation regarding the already implemented investment projects.

2018年10月29日に東京で２通の原本に署名した。

दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को टोक्यो में दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षरित किया गया।

Done at Tokyo on the 29th day of October, 2018, in two originals.

On behalf of
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

On behalf of
Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India

Hiromichi Matsushima
Vice Minister for International Affairs, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Sujan R. Chinoy
Ambassador of India to Japan

別添/अनुबंध/ Annex

投資プロジェクト個票/निवेश परियोजना (वैकल्पिक) के लिए प्रारूप/ Format for the (tentative) investment project

プロジェクト名/परियोजना का नाम/the name of project

関連する分野/संगत क्षेत्र/ relevant field(s)

実施候補地/अभ्यर्थी का कार्यस्थल/ candidate site(s)

プロジェクト概要/परियोजना की रूपरेखा/outline of the project

想定されるプロジェクト参加候補企業等/अभ्यर्थी की कंपनी आदि/ candidate company(s) etc.

インド/भारत/India：

（企業/कम्पनी (कम्पनियां)/ company(s)）

（その他関係機関/अन्य संगत एजेंसियां (अर्थात एफपीओ)/（等 FPO /other relevant agencies (i.e. FPO)）

日本/जापान/ Japan：

（企業/कम्पनी (कम्पनियां)/ company(s)）

（その他関係機関/अन्य संगत एजेंसियां/other relevant agencies）

日系食品関連企業等の参加促進策/संवर्धन उपाय/ promotion measures

インド側担当者/भारतीय पक्ष की ओर से प्रभारी अधिकारी/the person(s) in charge from the Indian side

（連邦/संघ सरकार/Federal Government）

（関連する州政府担当者/संबंधित राज्य सरकार/Related State Government）

日本側担当者/जापानी पक्ष की ओर से प्रभारी अधिकारी/ the person(s) in charge from the Japanese side

情報収集及び調整依頼事項/आवश्यक सूचना और व्यवस्था के लिए अनुरोध/ request for necessary information and arrangement(s)

備考/टिप्पणियां/ notes